08.06.22

विविध बैंक प्रकरण संख्या 67/2020(GCMS : 2020/00189) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर श्री गुरूनानक गर्ल्स सी. सै. स्कूल जिला श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. सुलोचना जांगिड पत्नी सुरेन्द्र जांगिड, निवासी गली नं. 3, गणपति नगर, श्रीगंगानगर (राज.) – 335001 2. श्रीकान्त जांगिड पुत्र सुरेन्द्र कुमार जांगिड निवासी गली नं. 3, गणपति नगर, श्रीगंगानगर (राज.) – 335001 3. सुरेन्द्र कुमार जांगिड पुत्र प्राणमल जांगिड़ निवासी गली नं. 3, गणपति नगर, श्रीगंगानगर (राज.) – 335001 4. प्रकाश जांगिड पुत्र [illegible]न्द जांगिड निवासी 7 जी 18ए, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सीताराम बिश्नाई उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण सुलोचना जांगिड़, श्रीकांत जांगिड, सुरेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रकाश जांगिड को ऋण सुविधा के रूप में 20.00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 28.09.2013 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुलोचना जांगिड ने अपनी संपत्ति प्लॉट नं 3 व 4 गणपति नगर (क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट) (चक नं. 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3), श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.0[illegible]2018 को 19,10,485/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात् के ब्याज व [illegible] अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 23.07.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण की व्यक्तिशः तामिल करवाई गई, **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी सुलोचना जांगिड द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं 3 व 4 गणपति नगर (क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट) (चक नं. 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3), श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सुलोचना जांगिड़, श्रीकांत जांगिड, सुरेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रकाश जांगिड को 20.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 28.09.2013 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी सुलोचना जांगिड **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति** प्लॉट नं 3 व 4 गणपति नगर (क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट) (चक नं. 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3), श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **30.06.2018 को** अनर्जक **परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.07.2018 को जारी किये गये है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप समस्त अप्रार्थीगण के हस्ताक्षरयुक्त धारा 13 (2) का नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा [illegible] अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त [illegible] जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 1[illegible] के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी सुलोचना जांगिड द्वारा अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं 3 व 4 गणपति नगर (क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट) (चक नं. 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3), श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 23.07.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 23.07.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण की व्यक्तिशः तामिल करवाई है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण का हस्ताक्षरयुक्त धारा 13(2) का नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुलोचना जांगिड के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त **प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी सुलोचना जांगिड द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं 3 व 4 गणपति नगर (क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट) (चक नं. 6 ई छोटी, एसक्यू नं. 3), श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:51 IST
Reason: SelfAttested